न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 122/2025 बउनवानी कमला मीना बनाम तहसीलदार मलारना डूँगर निवासी गम्भीरा विराठ नगर सवाईमाधोपुर

GCMS No-2025/ 260 **Appeal Number- 3210523113888903**

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	
24.9.2025	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत ऑन लाईन पोर्टल के माध्यम से दिनांक 12.8.2025 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार मलारना डूँगर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर" ***ग्राम गम्भीरा के ख0न0 771,772,773 की कुल लम्बाई चौडाई व ख0न0 770 व 764 के सामने की हिस्से की कुल लम्बाई चौडाई व खातेदारी भूमि पर अधिकतम कितने प्रतिशत हिस्से पर निर्माण किया जा सकता है खातेदारी भूमि पर मकान निर्माण हेतु तहसीलदार से अनुमति लेना आवश्यक है आदि की प्रमाणित सूचना***" तहसीलदार मलारना डूँगर से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है, जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 19(1)के तहत ऑन लाईन पोर्टल पर प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रेषित की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार मलारना डूँगर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार मलारना डूँगर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांकः /सूकाअ/2025/805 दिनांक 24.9.2025 का अवलोकन करने पर पाया गया कि चाही सूचना मे से बिन्दु संख्या 1 लगायत 3 की सूचना मे से बिन्दु संख्या 2 की सूचना के लिए राजस्व ग्रुप–6 का परिपत्र दिनांक 3.10.2017 की प्रति भिजवायी जा चुकी है तथा बिन्दु संख्या 1 की सूचना के क्रम मे अपीलान्ट को सीमाज्ञान का आवेदन प्रस्तुत करने बाबत एवं बिन्दु संख्या 3 की सूचना प्रश्नात्मक होने के कारण नही दिये जाने के संबंध मे वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है,कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 12.8.2025 को प्रेषित प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचना मे से बिन्दु संख्या 2 लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार मलारना डूँगर द्वारा अपीलान्ट उपलब्ध करवायी जा चुकी है तथा बिन्दु संख्या 1,3 की सूचना के संबंध मे अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। (कााना राम) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर	